अनुदान संख्या 106 - युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 106 – MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	Voted–				
मूल	Original	1150,70,00	1150,75,00	997,80,99	-152,94,01
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				146,40,00
पूंजीगत:	**Capital :**				
स्वीकृत–	Voted–		1,30,00	1,10,53	-19,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेल तथा युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	76972.00			
पू.	S.	4.00	79491.68	79014.51	-477.17
पु.	R.	2515.68			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10480.00	..	..	..
पु.	R.	-10480.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	26080.00			
पू.	S.	1.00	19453.59	19294.46	-159.13
पु.	R.	-6627.41			

(I) ₹11146.00 लाख का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें ₹10980.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹11146.00 lakhs remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹10980.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" - "शारीरिक शिक्षा - राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम"" - ₹500.00 लाख स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2204"- "Physical Education - National Physical Fitness Programme"- ₹500.00 lakhs - due to non-finalization of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552"-

(क) "खेल और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केन्द्र संगठन" - ₹1100.00 लाख;

(a) "Sports and Youth Services – Direction and Administration – Nehru Yuva Kendra Sangathan"- ₹1100.00 lakhs;

(ख) "खेल और युवा सेवाएं - विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(b) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students"-

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹800.00 लाख;

(i) "National Service Scheme" - ₹800.00 lakhs;

(ii) "राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम" - ₹250.00 लाख;

(ii) "National Programme for Youth and Adolescent Development"- ₹250.00 lakhs;

(iii) "राष्ट्रीय युवा कोर (पूर्व एनवीएस)" - ₹630.00 लाख;

(iii) "National Youth Corps (erstwhile NVS)"- ₹630.00 lakhs;

(ग) “खेल और युवा सेवाएं - गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान” - ₹200.00 लाख;

(घ) “खेल और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल” -

(i) “भारतीय खेल प्राधिकरण” - ₹3000.00 लाख;

(ii) “लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान” - ₹1500.00 लाख;

(iii) “पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान” - ₹2000.00 लाख; और

(iv) “शहरी खेलकूद अवसंरचना (पूर्व एनवाईकेकेए)” - ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2204” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सेवा स्कीम” - ₹164.36 लाख की बचत (दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹937.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहले जारी की गई निधियों के लेखे प्रस्तुत न किए जाने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “खेलकूद और खेल” -

(c) “Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Non-Students - Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development”- ₹200.00 lakhs;

(d) “Sports and Youth Services – Sports and Games”-

(i) “Sports Authority of India”- ₹3000.00 lakhs;

(ii) “Laxmibai National Institute of Physical Education”- ₹1500.00 lakhs;

(iii) “Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)”- ₹2000.00 lakhs; and

(iv) “Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)”- ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2204”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - National Service Scheme” - saving of ₹164.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹937.50 lakhs including token supplementary grant of ₹1.50 lakhs obtained in December, 2012) was due to non-release of funds to implementing agencies owing to non-submission of accounts for funds released earlier.

(B) “Sports and Games”-

(क) "खेलकूद उत्कृष्टता के प्रोत्साहन के लिए सहायता" - ₹112.87 लाख की बचत (₹8300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Assistance to Promotion of Sports Excellence"- saving of ₹112.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8300.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "शहरी खेलकूद अवसंरचना (पहले नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)" –₹194.22 लाख की बचत (₹990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)"- saving of ₹194.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹990.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals for various projects from the State Governments.

(ग) "राष्ट्रीय खेल संस्थान" – ₹984.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और कुछ स्कीमें कार्यान्वयन की शुरुआती अवस्था में होने के कारण हुई।

(c) "National Institute of Sports"- saving of ₹984.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1000.00 lakhs) was due to non finalization of schemes and some schemes being at initial stage of implementation.

(गा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल" - ₹1149.03 लाख की बचत (₹7590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Sports and Youth Services - Sports and Games"- saving of ₹1149.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7590.00 lakhs);

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - शारीरिक शिक्षा" - ₹150.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Sports and Youth Services - Physical Education"- saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल" - ₹1260.21 लाख की बचत (₹4120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Sports and Youth Services - Sports and Games"- saving of ₹1260.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4120.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non receipt of viable proposals from implementing agencies.

(ड) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का विनिमय" - ₹224.88 लाख की बचत (₹485.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) युवा प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत में और भारत से कम यात्रा किए जाने के कारण हुई।

(E) "International Cooperation- Exchange of Delegation of Youth at International level"- saving of ₹224.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹485.00 lakhs) was due to visit of less number of Youth delegates to and from India.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(का) "खेलकूद और युवा सेवाएं - विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय युवा कोर (पूर्व एनवीएस)" - ₹605.00 लाख की बचत (₹1269.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students - National Youth Corps (erstwhile NVS)"- saving of ₹605.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1269.00 lakhs) was due to non-finalization of revised guidelines.

(खा) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान"- ₹4324.06 लाख की बचत (₹11650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Sports and Youth Services - Sports and Games - Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)"- saving of ₹4324.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11650.00 lakhs) was due to non-submission of utilization certificates by the implementing agencies.

(गा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" - ₹242.37 लाख की बचत (₹1753.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल" - ₹1899.27 लाख की बचत (₹3110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students"- saving of ₹ 242.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1753.00 lakhs); and

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games"- saving of ₹1899.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3110.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप-योजना" -

(D) "Tribal Area Sub-Plan"-

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" - ₹112.33 लाख की बचत (₹873.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सेवा स्कीम स्वयंसेवक की भर्ती में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students"- saving of ₹112.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹873.00 lakhs) was due to delay in enrolment of National Service Scheme volunteers.

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल" - ₹122.97 लाख की बचत (₹1680.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games"- saving of ₹122.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1680.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Government.

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹384.21 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान की 16 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थी।

(IV) Under four heads savings of ₹384.21 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 16 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6475.71 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(1) The above savings were partly (₹6475.71 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" -

(A) Major Head "2204"-

(क) "निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केन्द्र संगठन" - ₹1121.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1121.00 लाख था।

(a) "Direction and Administration – Nehru Yuva Kendra Sangathan" - ₹1121.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹1121.00 lakhs.

(ख) "शारीरिक शिक्षा - लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर" – ₹1322.90 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1322.70 लाख था।

(b) "Physical Education – Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior"- ₹1322.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹1322.70 lakhs.

(ग) "गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान" – ₹738.31 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹738.11 लाख था।

(घ) "खेलकूद और खेल" -

(i) "भारतीय खेल प्राधिकरण" - ₹2993.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2992.80 लाख था।

(ii) "नि:शक्त व्यक्तियों में खेलों का बढ़ावा" - ₹200.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹149.90 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" - ₹100.00 लाख। वास्ताविक अधिक व्यय, तथापि, ₹78.12 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" -

(क) "छात्र युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹102.52 लाख का अधिक व्यय (₹224.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गणतंत्र दिवस शिविर के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम" - ₹163.48 लाख का अधिक व्यय (₹1388.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(c) "Youth Welfare Programmes for Non-Students - Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development"- ₹738.31 lakhs. Actual excess, however, was ₹738.11 lakhs.

(d) "Sports and Games" –

(i) "Sports Authority of India"- ₹2993.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2992.80 lakhs.

(ii) "Promotion of Sports among disabled"- ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹149.90 lakhs.

(B) "Major Head "3601"- "Non-Plan Grants – Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Students" – ₹100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹78.12 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" –

(a) "Youth Welfare Programmes for Students"-

(i) "National Service Scheme"- excess of ₹102.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹224.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Republic Day Camp and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National Programme for Youth Development and Adolescent"- excess of ₹163.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1388.00 lakhs);

(ख) "गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय युवा कोर" - ₹505.00 लाख का अधिक व्यय (₹2876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "खेलकूद और खेल - पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" - ₹335.80 लाख का अधिक व्यय (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्र युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹620.66 लाख का अधिक व्यय (₹4105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹20.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(b) "Youth Welfare Programmes for Non-Students - National Youth Corps"- excess of ₹505.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2876.00 lakhs);

(c) "Sports and Games - Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)"- excess of ₹335.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs); and

(B) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students - National Service Scheme"- excess of ₹620.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4105.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹20.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Capital Outlay on North Eastern Areas".